

राजस्थान सरकार  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

प.2(5)/शिक्षा-1/ प्राशि/2003 पार्ट 1

दिनांक : 16.10.2018


निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

विषय:- तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती-2018 लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों पर नवनियुक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने के संबंध में।  
संदर्भ:- आपका पत्रांक शिविरा/प्रारं/नियु. प्रको./नि.-2/982/शिक्षक भर्ती-2018/लेवल -II/2018-19 दिनांक 16.10.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती-2018 लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों पर कार्यग्रहण करने से शेष नवनियुक्त अभ्यर्थियों को निर्वाचन विभाग, राजस्थान के पत्र क्रमांक एफ.3(1)(9)/Elect./2018/6935 दिनांक 08.10.2018 के अनुसार मुख्य सचिव, महोदय राजस्थान की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की आई डी संख्या 3629/पीएस/जीएडी/18 दिनांक 16.10.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर कार्यग्रहण कराने की अनुमति प्रदान की जाती है।

www.rajteachers.com

भवदीय,




(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त स्कूल शिक्षा परिषद राजस्थान।
3. जिला कलेक्टर समस्त।
4. मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त।
6. मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

प.2(5)/शिक्षा-1/ प्राशि/2003 पार्ट 1

दिनांक : 16.10.2018


निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

विषय: - तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती-2016(संशोधित) लेवल-2 अंग्रेजी के पद पर नवनियुक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने के संबंध में।  
संदर्भ:- आपका पत्रांक शिविरा/प्रारं/नियु. प्रको./नि.-2/982/शिक्षक भर्ती-2018/लेवल -II/2018-19 दिनांक 16.10.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती-2016(संशोधित) लेवल-2 अंग्रेजी के पद पर कार्यग्रहण करने से शेष नवनियुक्त अभ्यर्थियों को निर्वाचन विभाग, राजस्थान के पत्र क्रमांक एफ.3(1)(9)I/Elect./2018/6935 दिनांक 08.10.2018 के अनुसार मुख्य सचिव, महोदय राजस्थान की अध्यक्षता में गठित स्कीनिंग कमेटी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की आई डी संख्या 3628/पीएस/जीएडी/18 दिनांक 16.10.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर कार्यग्रहण कराने की अनुमति प्रदान की जाती है।

www.rajteachers.com

भवदीय,




(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त स्कूल शिक्षा परिषद राजस्थान।
3. जिला कलेक्टर समस्त।
4. मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त।
6. मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव